न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 178 / 2022

अनवान : –

1. बलवीर पुत्र मोहरसिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. मदनलाल पुत्र मोहरसिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. ज्याना देवी पुत्री मोहरसिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
4. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

<u>प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा</u>
<u>अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.</u>

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **सायल**

निर्णय दिनांकः 20/8/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा 2 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 123/94 की कुल 1.0180 हैक्ट व रोही मौजा 5 ए बारानी तहसील नोहर के खाता स0 1.6670 हैक्ट भूमि सायल व गैरसायलान के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज है।

वादी भूमि का खाता व लगान मुश्तरका दर्ज है। प्रार्थी ने अपने हक हिस्सा की भूमि को समतल व उपजाउ बना रखा है लेकिन अप्रार्थीगण वाद भूमि में संयुक्त खाता में दर्ज होने के अच्छी किस्म की भूमि को अजनबी क्रेतागण को काबिज कराने पर आमादा है। अगर गैरसायल स0 1 अपने मकसद मे कामयाब हो जाता है तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को होगी अतः अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की उक्त वाद भूमि का जब तक खाता व विभाजन न हो तब तक वाद भूमि को रहन, बैय न करे एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा 2 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 123/94 की कुल 1.0180 हैक्ट व रोही मौजा 5 ए बारानी तहसील नोहर के खाता स0 1.6670 हैक्ट भूमि की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी स0 1 ता 2 इस आशय की जारी की गई की उक्त वाद भूमि की विशेष विशेष हिस्से का बेचान न करे।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को सम्यक नोटिस तामील होने के उपरान्त भी उपस्थित नही अत अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अ[illegible] [illegible]यी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:26:48 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अ[illegible] धारा 212 [illegible]स्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावे[illegible] का गहन अध्ययन क[illegible] उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है।

[illegible] अधिकारी
नोहर

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 2 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 123/94 की कुल 1.0180 हैक्ट व रोही मौजा 5 ए बारानी तहसील नोहर के खाता स0 1.6670 हैक्ट भूमि सायल व गैरसायलान के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज है। मुश्तरका खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाने का अधिकारी है जो वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होना है चूंकि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संयुक्त खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है, अप्रार्थीगण द्वारा अपने हिस्से को रहन व बैय करने से प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति नही होगी लेकिन विशेष हिस्से का बेचना करने से प्रार्थी को भी अपूर्णीय क्षति होने की सम्भावना है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला आंशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष मे बनता है। जब प्रथम दृष्टया मामला आंशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी आशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अतः विशेष हिस्से के बेचान न करने हेतु उभयपक्षों को पाबंद किया जाना न्यायोचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक रूप से साबित होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाकर रोही मौजा 2 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 123/94 की कुल 1.0180 हैक्ट व रोही मौजा 5 ए बारानी तहसील नोहर के खाता स0 1.6670 हैक्ट भूमि के ताफैसला वाद के निस्तारण तक उभयपक्ष विशेष हिस्से का बेचान करने से निषिद्ध रहे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 20/8/2024 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:26:48 IST
Reason: SelfAttested